रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240511 CG-DL-E-23112022-240511

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5219] No. 5219] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/ अग्रहायण 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/ AGRAHAYANA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5448(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के अरिया जिले में NH327E के कि.मी. 134 से कि.मी.136 (जिला भू - अर्जन कार्यलय, समाहरणालय,अरिया) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू - अर्जन पदाधिकारी,अरिया को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपित्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपित्तयों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपित्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

7792 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूच।

बिहार राज्य के अररिया जिले में NH327E के कि.मी. 134 से कि.मी.136 (जिला भू - अर्जन कार्यलय,
समाहरणालय,अररिया) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार जिले का नाम: अररिया						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
तालुक का नाम: भरगामा						
गांव का नाम: खजूरी						
1	1418	निजी	कृषि	0.1393000(हेक्टेयर)	0.1393000	
2	1445	निजी	आवासीय	0.0153000(हेक्टेयर)	0.0153000	
3	1446	निजी	आवासीय	0.5783000(हेक्टेयर)	0.5783000	
4	1447	निजी	कृषि	0.2835000(हेक्टेयर)	0.2835000	
5	1448	निजी	कृषि	0.1895000(हेक्टेयर)	0.1895000	
6	1449	निजी	कृषि	0.0408000(हेक्टेयर)	0.0408000	
7	1450	निजी	कृषि	0.3795000(हेक्टेयर)	0.3795000	
8	1451	निजी	कृषि	0.0018000(हेक्टेयर)	0.0018000	
9	1456	निजी	आवासीय	1.1654000(हेक्टेयर)	1.1654000	
10	1459	निजी	आवासीय	0.2926000(हेक्टेयर)	0.2926000	
11	1463	निजी	कृषि	0.5701000(हेक्टेयर)	0.5701000	
12	1464	निजी	कृषि	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000	
13	1477	निजी	कृषि	0.4064000(हेक्टेयर)	0.4064000	
14	1478	निजी	कृषि	0.1114000(हेक्टेयर)	0.1114000	
15	1540	निजी	धार (कोना पर घर)	0.3901000(हेक्टेयर)	0.3901000	
16	2868	निजी	कृषि	0.0146000(हेक्टेयर)	0.0146000	
17	287	निजी	आवासीय	0.0598000(हेक्टेयर)	0.0598000	
18	288	निजी	आवासीय	0.0919000(हेक्टेयर)	0.0919000	

19	291	निजी	आवासीय	0.4668000(हेक्टेयर)	0.4668000
20	292	निजी	आवासीय	0.1372000(हेक्टेयर)	0.1372000
21	293	निजी	आवासीय	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
22	294	निजी	आवासीय	0.0594000(हेक्टेयर)	0.0594000
23	295	निजी	आवासीय	0.1812000(हेक्टेयर)	0.1812000
24	296	सरकारी	बिहार सरकार	0.0516000(हेक्टेयर)	0.0516000
25	297	निजी	आवासीय	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
कुल				5.7817	5.7817

फा. सं. RW/PAT/NH/327E/KM134-KM136/LA/2021/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2022

S.O. 5448(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH327E in the stretch of land from Km 134 to Km136 (District Magistrate office, Araria) in the district of Araria in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Aquisition Officer, Araria in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH327E in the stretch of land from Km 134 to Km136 (District Magistrate office , Araria) in the district of Araria in the state of BIHAR

State: BIHAR District: Araria						
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)	
Taluk: Bhargama						
Village: Khajuri						
1	1418	Private	Agriculture	0.1393000(Hectare)	0.1393000	
2	1445	Private	Residential	0.0153000(Hectare)	0.0153000	
3	1446	Private	Residential	0.5783000(Hectare)	0.5783000	

4	1447	Private	Agriculture	0.2835000(Hectare)	0.2835000
5	1448	Private	Agriculture	0.1895000(Hectare)	0.1895000
6	1449	Private	Agriculture	0.0408000(Hectare)	0.0408000
7	1450	Private	Agriculture	0.3795000(Hectare)	0.3795000
8	1451	Private	Agriculture	0.0018000(Hectare)	0.0018000
9	1456	Private	Residential	1.1654000(Hectare)	1.1654000
10	1459	Private	Residential	0.2926000(Hectare)	0.2926000
11	1463	Private	Agriculture	0.5701000(Hectare)	0.5701000
12	1464	Private	Agriculture	0.0455000(Hectare)	0.0455000
13	1477	Private	Agriculture	0.4064000(Hectare)	0.4064000
14	1478	Private	Agriculture	0.1114000(Hectare)	0.1114000
15	1540	Private	Dhaar (Kona par ghar)	0.3901000(Hectare)	0.3901000
16	2868	Private	Agriculture	0.0146000(Hectare)	0.0146000
17	287	Private	Residential	0.0598000(Hectare)	0.0598000
18	288	Private	Residential	0.0919000(Hectare)	0.0919000
19	291	Private	Residential	0.4668000(Hectare)	0.4668000
20	292	Private	Residential	0.1372000(Hectare)	0.1372000
21	293	Private	Residential	0.1000000(Hectare)	0.1000000
22	294	Private	Residential	0.0594000(Hectare)	0.0594000
23	295	Private	Residential	0.1812000(Hectare)	0.1812000
24	296	Government	Bihar Government	0.0516000(Hectare)	0.0516000
25	297	Private	Residential	0.0097000(Hectare)	0.0097000
		5.7817	5.7817		